<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.4-1/2025(हिं.टं./आ.प्रशि.)-हिं.अ. दिनांक: 01.12.2025

<u>परिपत्र</u>

विषय: संस्थान में कार्यरत नियमित आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों/ डाटा एंट्री ऑपरेटरों/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत <u>हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित करने संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत नियमित आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/कनिष्ठ प्रशासिनक सहायकों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रतिवर्ष अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। संस्थान द्वारा फरवरी, 2026 से प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण सत्र हेतु आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों को हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण की कक्षाओं में नामित किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न केन्द्रों के प्रमुखगण तथा विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण, अधिकारीगण एवं संकाय-सदस्यगण स्वैच्छिक रूप से अपने अधीन कार्यरत नियमित अंग्रेजी के आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/कनिष्ठ प्रशासिनक सहायकों को अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/टंकण की कक्षाओं में प्राथमिकता के आधार पर नामांकित करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:-

1. हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र की अवधि फरवरी, 2026 से जनवरी, 2027 तक कुल एक वर्ष की होगी तथा हिंदी टंकण प्रशिक्षण की अवधि 06 माह अर्थात फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 तक की होगी।
2. केवल अंग्रेजी आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों को हिंदी आशुलिपि तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों को हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।
3. हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण की कक्षाएं कार्यालय समय में (शनिवार को छोड़कर) प्रतिदिन एक घंटे की होती हैं।
4. नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि में कक्षा में उपस्थित होना व उसकी समाप्ति पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा और कक्षा में गैर-हाजिरी को कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा।
5. नामित कर्मचारी को हिंदी आशुलिपि/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए एक अग्रिम वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा। **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 01 अक्तूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-21034/08/2017-रा.भा.(प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।**

जारी-2/-

6. हिंदी आशुलिपि की परीक्षा में 95%, 92% एवं 88% अंक प्राप्त करने पर संबंधित आशुलिपिकों को संस्थान की ओर से क्रमश: ₹ 6,000/-, ₹ 4,000/- एवं ₹ 2,000/- के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
7. हिंदी टंकण की परीक्षा में 97%, 95% एवं 90% अंक प्राप्त करने पर संबंधित कर्मचारी को संस्थान की ओर से क्रमश: ₹ 6,000/-, ₹ 4,000/- एवं ₹ 2,000/- के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
8. प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है।

संस्थान के विभिन्न केन्द्रों के प्रमुखगण तथा विभागों/अनुभागों के जो अध्यक्षगण, अधिकारीगण एवं संकाय-सदस्यगण अपने अधीन कार्यरत जिन नियमित आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों को स्वेच्छा से उपर्युक्तानुसार अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षाओं में प्राथमिकता के आधार पर नामित करवाना चाहते हैं, वे कृपया संलग्न प्रपत्र में ऐसे कर्मचारीगण के नाम इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर हिंदी अनुभाग को उपलब्ध करा दें। उक्त आवेदन-पत्रों पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु जारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

<u>अनुलग्नक</u>:- यथोपरि।

(पदम सिंह)
वित्त सलाहकार एवं
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)

<u>वितरण:</u> - सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
2. अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
5. प्रभारी आचार्य, (कम्प्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

अनुलग्नक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

संस्थान में कार्यरत नियमित आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों/ डाटा एंट्री ऑपरेटरों/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में नामित करने हेतु नामांकन प्रपत्र।

हिंदी अनुभाग के दिनांक 01.12.2025 के परिपत्र सं. 4-1/2025(हिं.टं./आ.प्रशि.)-हिं.अ के संदर्भ में संस्थान के --- विभाग/अनुभाग/केन्द्र में कार्यरत श्री/सुश्री/श्रीमती-- पदनाम ---, को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत फरवरी, 2026 से आरंभ होने वाले प्रशिक्षण सत्र में हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर नामित किए जाने की सिफारिश की जाती है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त कार्यालय में सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने हेतु उक्त कर्मचारी की सेवाएं उपयोगी होंगी।

सिफारिश करने वाले अधिकारी/संकाय: --------------------------
के मोहर सहित हस्ताक्षर

हिंदी अनुभाग
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान